न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 02/2018-19

प्रथम पक्ष – रामशंकर महतो पिता स्व0 पलटू महतो
ग्राम–निधिया, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी।

द्वितीय पक्ष – 1. सोमरा प्रधान भोक्ता पिता स्व0 मंगरा प्रधान
ग्राम–निधिया, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी।
2. अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
19.12.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–340R27/17-18 में अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.17 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:– मौजा: निधिया; थाना/थाना नं0: कर्रा 12; खाता नं0: 60; प्लॉट नं0: 930; रकबा(एकड़ में): 0.03½ अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, कर्रा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि मौजा–निधिया, थाना–कर्रा के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.03½ एकड़ है जिसे पलटु महतो (साहू) पिता महोदव साहू ग्राम–निधिया, थाना–कर्रा ने विक्री केवाला पट्टा सं0 441/440 दिनांक 28.10.1977 द्वारा मंगरा प्रधान वल्द लाढ़ा प्रधान ग्राम–निधिया, थाना–कर्रा से क्रय किया है। वर्णित भूमि विक्रेता के दादा देवचरण भोक्ता वगैरह के नाम से दर्ज चला आ रहा है। अंचल अधिकारी, कर्रा के प्रतिवेदन अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य है CNT act के तहत बिना अनुमति के खरीद बिक्री किये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है। अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया एवं पाया कि निबंधन बिक्रय पट्टा दिनांक 01.07.1977 को निष्पादित है आवेदिक द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन वर्ष 2017–18 को अंचल कार्यालय में आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदित भूमि अनुसूचित जाति का है। भूमि का बिक्री बिना अनुमति से की गयी है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) Proviso(b) से प्रभावित है। बिक्री हेतु सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। अतः अपील वाद अस्वीकृत की जाती है। अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश को यथावत रखी जाती है। लेखापित एवं संशोधित 19/12/20 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी। 19/12/20 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी।	